Department of Industries & Commerce, Haryana

Form-III

"Certificate of Registration to be Issued under Section 9(1) of the Haryana Registration and Regulation of Societies Act, 2012"

(See rule 5 and rule 6)

Certificate of Registration of Society

I hereby certify that a Society bearing the Registration Number and name as undermentioned has been registered this [01] day [Oct] month [2016] year under the Haryana Registration and Regulation of Societies Act, 2012 (Haryana Act No. 1 of 2012).

State Code	District Code	Year Of Registration	Registration Number
H R	0 0 9	2 0 1 6	0 0 8 6 1

Name Of the Society	Registered Office Address
CHATARBHUJ MEMORIAL EDUCATION SOCIETY	VILLAGE KASOON, TEHSIL NARWANA, DISTT JIND

Issued under my hand at [Jind] this [01] day of (month)[Oct] (Year)[2016] having Unique Identification Number - 2000114949

Distt. Registrar of Societies
Department of Industries & Commerce

Issuing Authority,
District Registrar, , Haryana.

SOME IMPORTANT PROVISIONS OF THE HRRS ACT 2012 TO BE FOLLOWED :

- One Flat one vote.
- Collegium Scheme to be approved from District Registrar if members strength is more than 1000.
- Administrator if appointed will not enroll new members, incur capital expenditure and give employement in the society.
- Terms of Governing Body not to be more than 3 years.
- Member to be not less than 21 year age.
- Office bearers of society (Three to twenty one).
- General Body and other meeting should be conducted with quorum i.e 1st meeting - 40%, 2nd meeting - 25% and 3rd meeting - 15% (see entire Provisions)
- Submission of mandatory Annual Returns i.e. list of members, list of members of collegium, list of office bearers, Annual Report on working, Balance Sheet & Auditors Report, Copy of special resolution otherwise shall attract penalities & fines as per provisions of Act.
- In case of Joint Apartment owners, 1st owner will be eligible to contest the elections.
- Proxy voting not allowed.
- Condominium/ Association covered under Apartment Ownership Act 1983 is to be formed by owners only.
- Election observer may be appointed by District Registrar or on request of Society

CamScanner

Verification Link: https://haryanaindustries.gov.in/msme/verify/societyregistration/id/114949/reg/06-009-2016-00861

Distt. Registrar of Societies
Department of Industries & Commerce Haryana

CamScanner

Memorandum of Association

क्रम	विषय	वर्णन
1	सोसायटी का नाम	चतरभुज मैमोरियल ऐजुकेशन सोसायटी
2	सोसायटी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय होगाः	गांव कहसुन, तहसील नरवाना, जिला जीन्द
3	अधिकारिता क्षेत्र	सोसायटी हरियाणा राज्य के क्षेत्र के समस्त जिलों में कार्य करेगी।
4	सोसायटी के लक्ष्य तथा उद्देश्यः	उद्देश्य जो किसी सोसायटी के लिए विशेष है नीचे वर्णित किये जायेगे। कुछ उपदर्शित उद्देश्य निम्नअनुसार होगें।

1. पडिंत चतरभुज चदंगीराम मैमोरियल ऐजुकेशन सोसायटी का संचालन करना और उसका प्रबन्ध करना।
2. बहुउद्देश्य शिक्षा समिति संस्थाओ के माध्यम से बच्चो को केवल पढाई और लिखाई ही नही बल्कि स्वयं रोजगार की शिक्षा दी जायेगी ताकि बच्चों को पढाई छोडने के बाद नौकरी के पीछे न भागना पडे।
3. संस्था द्वारा व्यवसायिक, बहुतकनीकि व आधुनिक शिक्षा का प्रचार करने तथा प्रशिक्षण देने के लिए शैक्षणिक संस्थान स्थापित करना तथा संचालन करना।
4. संस्था सरकार से अनुमति प्राप्त कर आधुनिक शिक्षा प्रणाली व कोर्सो जैसे B.Ed, D.Ed, B.D.S, Physiotherapy, Drawing Teacher, Computer Course, आदि की शिक्षा प्रदान करेगी व प्रमाण पत्र जारी कर सकेगी। शिक्षा समिति आई. ए. एस/आई.पी.एस. व अन्य कम्पीटशन प्रतियोगिताओं हेतु कोचिंग सैटर खोल सकेगी व इनके लिए आवश्यक हुआ तो सरकार से मान्यता ले सकेगी।
5. उपरोक्त कार्यो के लिए समितियों एवं उप समितियों का गठन करना एवं सामाजिक कार्यो का उचित संचालन करना।
6. शिक्षा द्वारा देश की शक्ति व कुशलता को बढाना। नागरिको को स्वयं शिक्षा देने के लिए प्रचार करना।
7. संस्था की संस्थाओ के लिए भवन, छात्रावास, खेल का मैदान तथा लायब्रेरी बनवाना।
8. बच्चों को खेलने के लिए सभी खेल से सम्बन्धित वस्तुएं उपलब्ध करवाना।
9. संस्था के उद्धेश्यो की पूर्ति के लिए समाचार पत्र, पत्रिका, पुस्तक तथा लघु पुस्तिका [illegible] करवाना।
10. बच्चों को हर प्रकार के खेल जैसे कबड्डी, क्रिकेट, कुश्ती, हॉकी, फुटबाल, मुक्केबाजी, आदि सिखाना।
11. एकैडमी में भाग लेने वाले प्रत्येक खिलाडी को खेल के बारे में नई तकनीकों की पूरी जानकारी देना।
12. खेल के मैदान के आस–पास की कच्ची पडी जगहों पर पेड पौधे लगवाना ताकि वातावरण शुद्ध रहे।

(President) (Secretary) (Cashier)

Distt. Registrar of Societies, Department of Industries & Commerce, Haryana

CamScanner

13. समय–समय पर खेल मैदानों की सफाई करवाना। गांव–गांव में जाकर खेल के बारे अवगत करवाना। ताकि ज्यादा से ज्यादा संख्या में बच्चें खेल आदि में भाग ले सके।

14 समय–समय पर खिलाडियों की डॉक्टरी जांच करवाना ताकि किसी भी खिलाडी को कोई बिमारी हो उस बिमारी से निजात दिलाई जा सके।

15. प्रतियोगिताओं में आए प्रथम, द्वितीय, तृतीय श्रेणी पर आने वाले खिलाडियों को ईनाम देना व आगे उन्हें उच्च स्तर पर भेजना।

16 छात्रों के लिए स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा, खेल शिक्षा का प्रबंध करना। जिला, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न खेलों का आयोजन करना।

17 आंगनवाडी सैन्टर खोलना व महिलाओं के लिए सिलाई, कढाई बुनाई की शिक्षा के लिये सैन्टर खोलना।

18 देश के लिए ऐसे भावी नागरिकों का निर्माण करना जो मन व शरीर से स्वच्छ राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रप्रेम तथा राष्ट्रीयता से युक्त हों।

19 विद्यालय एवं कॉलेजो के माध्यम से छात्रों को भारतीय संस्कृति से संस्कारित करवाना।

शर्ते :

क) समिति की सम्पति तथा आय समाज के हित के लिए खर्च होगी इसमें किसी भी समिति की राशि या सम्पति का कोई भी बोनस या डिविडेन्ट के रूप में नही दिया जायेगा।

ख) समिति की कार्यकारिणी के सभी सदस्य अवैतनिक होंगे। कोई भी सदस्य वेतन नहीं लेगा। कार्यकारिणी या आम समिति का कोई सदस्य समिति के कार्य के लिये अपनी जेब से खर्च नही करेगा तथा वह जो भी खर्च करेगा वह समिति की आय में से ही दिया जायेगा तथा समिति के प्रयोग हेतू जो भी भवन आदि किराये पर लिया जायेगा वह संस्था की आय में से ही दिया जायेगा।

ग) यदि समिति को कोई लाभ होगा या आमदन होगी वह राशि समिति के हित में ही खर्च की जायेगी।

घ) किसी कारणवश समिति बन्द होने की स्थिति में समिति की जायेदाद लेनदारी तथा देनदारी का कोई व्यक्ति या सदस्य व्यक्तिगत रूप से जिम्मेवार नहीं होगा। अपितु ऐसी स्थिति में समान विचारधारा वाली पंजीकृत समिति को सौंप दी जायेगी। उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।

ड) समिति का कोई भी सदस्य/संरक्षक जो समिति की अवहेलना करेगा या नियमों का उल्लंघन करेगा या समिति के पदाधिकारी विशेषकर प्रधान यह अनुभंव करेंगे कि इन सदस्यों से समिति को किसी भी प्रकार की हानि पहुंच सकती है तब प्रधान उस सदस्य को बिना कारण बताए समिति की सदस्यता से निष्कासित कर सकता है।

च) समिति के कार्यों का लाभ बिना किसी जाति धर्म व वर्ग के भेदभाव के आधार पर

छ) किसी कारणवश संस्था के बन्द होने की स्थिति में लेनदारी अथवा देनदारी का कोई भी सदस्य व्यक्तिगत रूप से जिम्मेवार नहीं होगा अपितु ऐसी स्थिति मे समिति के सदस्यों के 2/3 बहुमत से निर्णय अनुसार समान विचारधारा वाली समिति को सौंप दी जाएगी।

ज) समिति सार्वजनिक हित हेतु किसी भी सरकारी व गैर–सरकारी वितिय संस्था से ऋण ले सकती है।

(President) (Secretary) (Cashier)

Distt. Registrar of Societies, Department of Industries & Commerce, Haryana

CS CamScanner

5. सोसायटी के सामान्य सदस्यो के नाम जिसके प्रबन्धन कार्यो के नियम तथा उप विधियां सौपी जाती है, वे निम्न अनुसार है–

क्र0 सं0	नाम	पिता / पति का नाम	पता	उम्र	पद	व्यवसाय	हस्ताक्षर
1	देवेन्द्र	श्री चतरभुज	गांव कहसून, जिला जीन्द	37	प्रधान	व्यापार	
2	सदींप कुमार	श्री राम कुमार	गांव बडोदा, जिला जीन्द	35	सचिव	कृषि	Sandeep Kumar
3	पंकज शर्मा	श्री राजेन्द्र कुमार	51बी, सेतिया प्लेस के पास, सिरसा रोड़, फतेहाबाद	26	कौषाध्यक्ष	व्यापार	
4	सुषमा शर्मा	श्री देवेन्द्र	गांव कहसून, जिला जीन्द	35	कार्यकारिणी सदस्य	व्यापार	Sushma
5	ओम पति	श्री चतरभुज	गांव कहसून, जिला जीन्द	63	कार्यकारिणी सदस्य	ग्रहणी	
6	दिनेश कुमार	श्री राजेन्द्र कुमार	हाउस नं.132सी, नजदीक सैतिया प्लेस, गीता कॉलोनी, सिरसा रोड़, फतेहाबाद	39	कार्यकारिणी सदस्य	व्यापार	Dinesh Kumar
7	राजेन्द्र कुमार	श्री जय सिंह	हाउस नं. 10, लेखु मोहल्ला, गांव चोचडा, जिला करनाल	27	कार्यकारिणी सदस्य	व्यापार	Rajender
8	सत कुमार	श्री बारू राम	ब्राहाण चौपाल के पास, वॉर्ड नं. 8, उचाना कला, जिला जीन्द	47	कार्यकारिणी सदस्य	व्यापार	Sat Kumar

Certified to be true copy of Memorandum of Association of

CHATARBHUJ MEMORIAL EDUCATION SOCIETY

VILLAGE- KASOON, TEH. NARWANA, DISTT. JIND

Distt. Registrar of Societies, Department of Industries & Commerce, Haryana

(President) (Secretary) (Cashier)

I know all the above persons personally & they have signed this document in my presence.

Advocate/~~Sarpanch/Gazeted~~ Officer

ADVOCATE

DISTT. COURT JIND

SURE SANJAY ADV.
DISTT. COURT JIND

(4) शासकीय निकाय की बैठकः—

(i) शासकीय निकाय की बैठक जब कभी अपेक्षित हो बुलाई जाएगी। तथापि, शासकीय निकाय प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार बैठक करेगा तथा वित वर्ष में शासकीय निकाय की कम से कम चार बैठक होंगी।

(ii) प्रत्येक ऐसी बैठक का तीन दिन का स्पष्ट नोटिस बैठक के लिए नियत तिथि से पूर्व पदाधिकारियों तथा सदस्यों को शासकीय निकाय के सचिव द्वारा दिया जाएगा। तथापि, शासकीय निकाय इसके सदस्यों के कम से कम 50 प्रतिशत की सहमति से जब कभी ऐसा अपेक्षित हो, लघु नोटिस पर बैठक की सकता है।

(iii) शासकीय निकाय की बैठकों की गणपूर्ति, अधिकतम 5 सदस्यों के अध्यधीन, शासकीय निकाय के कुल सदस्यों के कम से कम 40 प्रतिशत से होगी। यदि गणपूर्ति विद्यमान नही है, तो बैठक दूसरी तिथि के लिए स्थगित कर दर जाएगी। जिसके लिए उचित नोटिस जारी किया जाएगा। अधिकतम तीन सदस्यो के अध्यधीन स्थगित बैठक में उपस्थित सदस्य स्थगित बैठक के लिए गणपूर्ति करेगें।

(iv) शासकीय निकाय की प्रत्येक बैठक की कार्यवाहियों इस प्रयोजन के लिए पृथक रूप में रखी गई कार्यवाही पुस्तक में अभिलिखित की जाएगी। ऐसे कार्यवृत बैठक के अध्यक्ष तथा सोसायटी के सचिव द्वारा हस्ताक्षरित किए जाएगे। यदि अध्यक्ष या सचिव कार्यवृत हस्ताक्षर करने के लिए उपलब्ध नही है, तो वे शासकीय निकाय द्वारा यथा प्राधिकृत बैठक में उपस्थित किन्ही दो सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित किए जाएंगे।

(v) शासकीय निकाय को प्रत्येक बैठक में उपस्थित किन्हीं दो सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित किए जाएगें।

(5) शासकीय निकाय की शक्तियां, कार्य तथा कर्तव्य—

(i) शासकीय निकाय सोसायटी के लक्ष्यों तथा उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जिम्मेवार होगा तथा सोसायटी के सर्वोतम हित में कार्य करेगा जिसके लिए इसे कथित उद्देश्यों के लिए सोसायटी की निधियों तथा परिसम्पतियां के फैलाव के लिए संशक्त किया जाएगा;

(ii) शासकीय निकाय इस द्वारा यथा निर्णीत इसके नाम से निधियां उठाने तथा पूर्णस्वामित्व या पट्टा आधार पर चल तथा अचल सम्पति खरीदने के लिए सक्षम होगा।

(iii) शासकीय निकाय सोसायटी से सम्बन्धित या मे निहित सभी अचल सम्पतियों तथा चल परिसम्पतियों का सम्पूर्ण प्रभार रखेगा तथा इन्हे ऐसी रीति में प्रबन्धित करेगा जैसा यह सोसायटी के शासकीय निकाय के सम्पूर्ण नियन्त्रण तथा निर्देशन के अध्यधीन उचित समझे।

(iv) शासकीय निकाय रीति जो वह सोसायटी के सर्वोतम हित में उचित समझे, में निधिया निवेश करने के लिए सक्षम होगा तथा यह निर्णीत रीति में सोसायटी की ओर से सम्पतियां उधार लेने या गिरवी रखने या बन्धक रखने के लिए सक्षम होगा।

(v) ऐसे कृत्यो जो समय समय पर सोंपे जाएं की देखभाल करने के लिए विभिन्न स्थाई या तदर्थ समितियां गठित करना।

(vi) सीविनहीन रीति में लिपिकीय, लेखा तथा अन्य कृत्यों की देखभाल करने के लिए सोसायटी के नियमित या अंशकालिक कर्मचारियों को लगाने के लिए प्रबन्ध सृजित करना।

(vii) बाहरी स्त्रोत से कतिपय कार्य करना अर्थात् सोसायटी के परिसरों की सफाई, सुरक्षा तथा समरूप अन्य रखरखाव गतिविधियां।

(6) शासकीय निकाय के व्यक्तिगत सदस्यों की शक्तियां, कार्य तथा कर्तव्यः—

(i) प्रधानः

(क) सामान्य निकाय की तथा शासकीय निकाय की सभी बैठको की अध्यक्षता करना तथा ऐसी बैठकों की कार्यवाहियां नियन्त्रित करना।

(ख) सभी ऐसे कार्य, कर्म तथा काम करना जैसा समय—समय पर सामान्य निकाय तथा/या शासकीय निकाय द्वारा प्राधिकृत किया जाए।

Registrar of Societies, Department of Industries & Commerce, Haryana

(President) (Secretary) (Cashier)

CamScanner

(ग) किसी मामले पर विचार विमर्श को अनुज्ञात या अस्वीकार करना जो एजेंडे मे शामिल नही किया जाता है।
(घ) सोसायटी/शासकीय निकाय के उचित तथा पारदर्शी कार्य करना सुनिश्चित करना।
(ड़) हरियाणा सोसायटी रजिस्ट्रीकरण तथा विनियमन अधिनियम, 2012 तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों की कडी अनुपालना सुनिश्चित करना।

(ii) सचिवः

(क) सोसायटी के सभी कार्यों को करना, संघटित करना, पर्यवेक्षण तथा प्रबन्ध करना तथा सोसायटी के कार्य के लिए सभी ऐसे कार्य करना तथा सभी ऐसे कर्तव्य पूरे करना जो प्रधान/शासकीय निकाय द्वारा सौंपे जाएं,
(ख) शासकीय निकाय के सम्मुख सोसायटी की सदस्यता के लिए आवेदन प्राप्त करना, समीक्षा करना तथा रखना तथा सदस्य का नाम उसके आद्यक्षर के अधीन सदस्यों के रजिस्टर में, यदि अनुमोदित हो, दर्ज करना तथा उसके बारे में सदस्यों को सूचित करना तथा इस प्रकार शामिल किए गए सदस्यों को पहचान पत्र जारी करना,
(ग) प्रधान की सहमति से सामान्य निकाय/शासकीय निकाय की बैठक आयोजित करना तथा इन उपविधियों के अधीन यथा विहित उचित नोटिस तामील करना।
(घ) सामान्य निकाय तथा शासकीय निकाय की सभी बैठकों में हाजिर होना तथा बैठके करने में प्रधान की सहायता करना तथा सभी बैठकों को कार्यवाहियों का रिकार्ड करना।
(ड़) सोसायटी की वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना तथा वार्षिक सामान्य बैठक में सामान्य निकाय के सम्मुख उसे रखने के अनुमोदन के लिए सोसायटी के लेखापरीक्षित वार्षिक लेखों सहित शासकीय निकाय के सम्मुख उसे रखना।
(च) सोसायटी/शासकीय निकाय का रिकार्ड रखना तथा परिक्षण करना।
(छ) सोसायटी के सम्पूर्ण कार्यो की देखभाल करने में तथा सोसायटी के लक्ष्यों तथा उद्देश्यो को प्राप्त करने मे प्रधान की सहायता करना तथा सहयोग देना।
(ज) जिला रजिस्ट्रार के कार्यालय में सभी वैधानिक विवरणी/दस्तावेजों तथा ऐसे अन्य प्राधिकारों को समय पर दायर करना सुनिश्चित करना जो हरियाणा सोसायटी रजिस्ट्रीकरण तथा विनियमन अधिनियम, 2012 तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन विहित किए जाए।
(झ) सोसायटी की सामान्य मुद्रा की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए अभिरक्षक होना तथा शासकीय निकाय के अनुमोदन के अनुसार जहां कही अपेक्षित हो उसे लगाना।
(ट) सोसायटी/शासकीय निकाय की ओर से पत्राचार करना तथा उसकी ओर से पत्रो तथा कागजों पर हस्ताक्षर करना तथा सुनिश्चित करना कि सभी वैधानिक रजिस्टर तथा रिकार्ड को उचित रूप से रखे तथा अनुरक्षित किए जा रहे है।
(ठ) निर्वाचन तथा वार्षिक सामान्य बैठक की तिथि की घोषणा से पूर्व मत के लिए पात्र सदस्यों की सूची तैयार, विधिवत अद्यतन करना तथा शासकीय निकाय के सम्मुख इसे रखना।
(ढ) सोसायटी के सभी कार्यक्रमों के प्रशासन तथा निष्पादन के सम्पूर्ण प्रभारी के रूप में कार्य करना/जिसमें पदों का सृजन, वेतन/पारिश्रमिक/भत्तों इत्यादि का नियतन, अगले की नियुक्तियां करने/लगाने, खरीद करने सहित शासकीय निकाय की ओर से वितीय कार्य शामिल है तथा सभी अन्य ऐसे काम करना जो समय-समय पर शासकीय निकाय द्वारा प्रत्यायोजन के अनुसार सोसायटी के लक्ष्यों तथा उद्देश्यों के प्रोत्साहन में आवश्यक हों तथा जहां कोई भी ऐसा प्रत्यायोजन सोसायटी के प्रधान के परामर्श से विशिष्ट रूप से नही किया जाता है।

(iii) कौषाध्यक्षः

(क) सोसायटी के सभी वितीय संव्यवहारों तथा सोसायटी द्वारा प्राप्त तथा खर्च की गई सभी राशियों के लेखे रखना तथा ऐसे मामलों से सम्बन्धित, तथा परिसम्पति, जमा तथा दायित्वों की प्राप्तियों तथा खर्चो के रिकार्ड रखना,
(ख) प्रत्येक वर्ष वितीय वर्ष की समाप्ति पर शासकीय निकाय द्वारा नियुक्त चार्टर्ड लेखाकार द्वारा लेखापरीक्षित सोसायटी के लेखे प्राप्त करना,

(President) (Secretary) (Cashier)

CamScanner

- सचिव आवेदन की जांच करेगा तथा उसे निर्णय के लिए शासकीय निकाय के सम्मुख रखेगा।
- शासकीय निकाय आवेदन के स्वीकृत या रद्द कर सकता है तथा इस सम्बन्ध में शासकीय निकाय का निर्णय अन्तिम होगा। यह इसके निर्णय के लिए कोई कारण देने हेतू बाध्य नही होगा।
- शासकीय निकाय का अनुमोदन सदस्य को सूचित किया जाएगा, उसका नाम हरियाणा सोसायटी रजिस्ट्रीकरण तथा विनियमन नियम, 2012 के अधीन यथा विहित ऐसी रीति तथा प्ररूप में रखे जाने वाले सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा तथा उसे सोसायटी का पहचान पत्र जारी किया जाएगा।

(5) प्रत्येक सदस्य के लिए पहचान पत्र सदस्य के रूप में शामिल प्रत्येक सदस्य को सोसायटी के व्यक्तिगत सदस्य तथा महा सचिव द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित उसके फोटो, संक्षिप्त ब्यौरों तथा सदस्यता प्रवर्ग वाला पहचान पत्र जारी किया जाएगा।

(6) सदस्यों के अधिकार तथा बाध्यताएंः

(i) सोसायटी के सभी सदस्य इसकी उपविधियों में यथा अन्तर्विष्ट तथा समय समय पर संशोधित सोसायटी के नियमों तथा विनियमों द्वारा बाध्य होंगे

(ii) अवैतनिक सदस्य के सिवाए प्रत्येक सदस्य को सोसायटी के निर्वाचन में अपना मत डालने का अधिकार होगा परन्तु ऐसा सदस्य सोसायटी के किसी देयों तथा देय तिथि से आगे तीन मास की अवधि के लिए वार्षिक अंशदान के भुगतान में चूककर्ता नही है.

(iii) सोसायटी के प्रत्येक सदस्य को सात दिन का नोटिस देते हुए किसी कार्य दिवस को सोसायटी की लेखा पुस्तकों, सामान्य बैठक की कार्यवाही के कार्यकृत वाली पुस्तकों, शासकीय निकाय की बैठकों तथा सदस्यों के रजिस्टर का निरिक्षण करने का अधिकार होगा

(iv) प्रत्येक सदस्य उसके पते में किसी परिवर्तन के बारे में सोसायटी को सूचित करेगा, जो सोसायटी के सदस्यों के रजिस्टर में विधिवत अभिलिखित किया जाएगा तथा जिसके बाद सोसायटी ऐसे सदस्य को नया पहचान पत्र जारी करेगी।

(7) सदस्यता की समाप्तिः सदस्य के रूप में शामिल कोई व्यक्ति निम्नलिखित घटनाओं में सोसायटी के सदस्य के रूप में नही रहेगाः

(i) अधिनियम की धारा 22 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों को आकर्षित करने
(ii) सोसायटी के लक्ष्यो तथा उद्देश्यो के प्रतिकूल उसके कार्य करने पर
(iii) ऐसे सदस्य के सोसायटी की निधियों का वितीय गबन का दोषी पाए जाने पर
(iv) सोसायटी के जिला रजिस्ट्रार/रजिस्ट्रार/महा रजिस्ट्रार द्वारा हटाने के लिए अभ्यारोपण तथा निदेशनों पर;
(iv) अवैतनिक सदस्य सोसायटी के सदस्य के रूप में समाप्त हो जाएगा यदि शासकीय निकाय इस निमित संकल्प पारित करते हुए ऐसा निर्णय करती है।

(5) सामान्य निकायः

(i) सदस्य के रूप में शामिल प्रत्येक व्यक्ति सोसायटी के शासकीय निकाय का सदस्य होगा तथा सोसायटी के शासकीय निकाय के निर्वाचन के लिए अपना मत डालने के लिए जब तक हकदार होगा तब तक वह वार्षिक अंशदान सहित सोसायटी के किन्ही देयों के भुगतान के बकायों में नही रहता है।

(ii) प्रत्येक सदस्य व्यक्तिगत रूप में अपना मत डालेगा तथा कोई भी प्रतिपुरूष मतदान अनुज्ञात नही किया जाएगा।

(President) (Secretary) (Cashier)

Distt. Registrar of Societies, Department of Industries & Commerce, Haryana

1सोसायटी का नाम :– चतरभुज मेमोरियल ऐजुकेशन सोसायटी

2 सोसायटी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय (पूरा डाक पता):– गांव कहसुन, तहसील नरवाना, जिला जींद

3 सोसायटी हरियाणा राज्य के क्षेत्र के अन्तर्गत सभी जिलों में अपनी मुख्य गतिविधियां करेगी।

4 सदस्यता:

(1) सोसायटी में संस्थापक सदस्यों/मूल अंशदाता सहित न्यूनतम 7 या अधिक परन्तु 250 से कम सदस्य होंगे।

(2) पात्रता: सोसायटी के सदस्य के रूप में प्रवेश किए जाने के उद्देश्य से व्यक्ति;

(i) प्रवेश की तिथि को कम से कम 21 वर्ष या अधिक की आयु का होना चाहिए.

(ii) सोसायटी के लक्ष्यों तथा उद्देश्यों में अंशदान करना चाहिए

(iii) प्रवेश फीस तथा वार्षिक अंशदान फीस जमा करने चाहिए तथा सदस्य के रूप मे बने रहने के लिए वार्षिक सामान्य बैठक की तिथि को ऐसी फीस के भुगतान के बकाया में नही होने चाहिए;

(iv) दिवालिया तथा विकृत चित नही होना चाहिए;

(v) एक वर्ष या अधिक के कारावास वाले नैतिक अद्यमता वाले किसी अपराध का सिद्वदोष नही होना चाहिए।

(3) सदस्यों की प्रकार/किस्म/प्रवर्ग: सोसायटी निम्न अनुसार सदस्यों के दो विभिन्न प्रवर्गो की होगी:

(i) साधारण सदस्य – वे व्यक्ति जो शर्तो को पूरा करते है 1100/–रूपये एक मुशत व 500/–रूपये वार्षिक देकर समिति का आम सदस्य बन सकता है।

(ii) अवैतनिक सदस्य– किसी भी बहुप्रतिष्ठित व्यक्ति को जो समिति के हित में हो, समिति उसे समिति में बिना सदस्यता शुल्क दिये समिति का अवैतनिक सदस्य मनोनित कर सकती है। ऐसा सदस्य समिति की मिटिंगों में हिस्सा ले सकता है परन्तु उस मत देने का अधिकार नहीं होगा।

(4) सदस्यता फीस तथा वार्षिक अंशदान:

- साधारण सदस्य के लिए 1100 रू0 सदस्यता फीस एक मुश्त होगी व साधारण सदस्य के लिए 500 रू0 सदस्यता फीस वार्षिक होगी।
- अवैतनिक सदस्य के लिए कोई भी सदस्यता फीस नही होगी।
- सदस्य के वार्षिक सदस्यता शुल्क या अंशदान का भुगतान प्रत्येक वर्ष के अप्रैल के प्रथम दिन को देय होगा जो उसी वर्ष के 30 अप्रैल तक अन्तिम रूप में भुगतान किया जा सकता है। इसके बाद चुककर्ता सदस्य की सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाएगी।
- वार्षिक सदस्यता शुल्क/अंशदान के भुगतान में चुक के कारण सदस्य का निलम्बन भुगतान योग्य राशी पर 18 प्रतिशत ब्याज सहित जमा करवाकर सोसायटी की सदस्यता ग्रहण कर सकता है परन्तु वह बाकि के वित्तिय वर्ष में निर्वाचनों में अपने मत का प्रयोग नहीं कर सकता।

Distt. Registrar of Societies, Department of Industries & Commerce, Haryana

(President) (Secretary) (Cashier)

CamScanner

(ग) वार्षिक सामान्य बैठक की तिथि से कम से कम एक मास पूर्व सोसायटी के लेखा परीक्षित वार्षिक लेखे महा सचिव/सचिव के माध्यम से शासकीय निकाय को प्रस्तुत करना,

(घ) सोसायटी की सभी लेखा पुस्तकों, वितीय विवरणी, रसीद पुस्तकों, व्यय वाउचरों, बैंक पास बुक, नकदी इत्यादि के सम्पूर्ण अभिरक्षक के रूप में कार्य करना।

(ङ) समिति द्वारा संचालित स्कूल, कॉलेज अकेडमी एवं अन्य संस्थाओं के लिए भवन निर्माण, प्रबन्ध विकास एवं विस्तार के बारे में समिति को सलाह देना।

(च) समिति के सदस्यों के बहुमत के अनुसार समिति की चल–अचल सम्पति खरीदने का अधिकार होगा।

(छ) समिति द्वारा किये गये कार्यो के बारे मे सलाह देना।

(7) शासकीय निकाय के सदस्यों की समापि– शासकीय निकाय के पदाधिकारी/ कार्यकारी सदस्य पदाधिकारी/कार्यकारी सदस्य के रूप में नही रहेगें:

(क) उसके त्यागपत्र प्रस्तुत करने पर तथा स्वीकृति पर,

(ख) यदि वह इन उप विधियों के खण्ड 4 के उप खण्ड (8) के अनुसार सदस्य के रूप मे नही रहा है,

(ग) यदि उसे सामान्य निकाय की बैठक में पारित संकल्प द्वारा हटाया जाता है।

(8) सोसायटी के नियोजन से अपवर्जन:

(क) सोसायटी का कोई भी सदस्य सोसायटी के पूर्ण कालिक या अंशकालिक नियोजन मे नही रहेगा,

(ख) शासकीय निकाय के पदाधिकारियों तथा सदस्यो का कोई भी आश्रित या पारिवारिक सदस्य या निकट सम्बन्धी उसकी अवधि के दौरान सोसायटी के कर्मचारी के रूप में नही लगाया जाएगा,

(ग) शासकीय निकाय का प्रत्येक पदाधिकारी तथा सदस्य घोषणा करेगा यदि सोसायटी नियोजन में कोई व्यक्ति उसका निकट सम्बन्धी है।

(9) सोसायटी के संगम ज्ञापन, उपविधियों नाम इत्यादि में संशोधन– सोसायटी के संगम ज्ञापन तथा उपविधियों या नाम का परिवर्तन, समामेलन या विभाजन में कोई संशोधन विशेष संकल्प के द्वारा केवल सामान्य निकाय के अनुमोदन से किया जाएगा। अपेक्षित दस्तावेजों की सत्यापित प्रति सहित किसी ऐसे संशोधन या परिवर्तन की सूचना ऐसे समय के भीतर महा सचिव/सचिव द्वारा जिला रजिस्टार के कार्यालय में दायर की जायेगी जो हरियाणा सोसायटी रजिस्ट्रीकरण तथा विनियमन अधिनियम, 2012 तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों मे विहित की जाए।

(10) सोसायटी की परिसम्पति तथा निधियों का प्रबन्धन–

(i) सोसायटी की आय के स्त्रोतो में सदस्यता फीस, वार्षिक अंशदान, सम्पति/ परिसम्पति से किराया, ब्याज, परामर्श फीस, दान, उपहार, अनुदान इत्यादि के मदे प्राप्तियां शामिल होंगी। सोसायटी इसके सदस्यों से ब्याज मुक्त लघु अवधि कर्ज के द्वारा या ब्याज पर अनुसूचित बैंक से भी निधियां ले सकती है। ब्याज पर अनुसूचित बैंक से कर्ज केवल पूंजीगत परिसम्पति के सृजन की खरीद के लिए लेगी तथा न कि किन्ही परिस्थितियों के अधीन किसी आवर्ती राजस्व व्यय को पूरा करने के लिए होगी।

(ii) शासकीय निकाय वित वर्ष की प्रथम तिमाही के दौरान इसकी अनुमानित आय तथा पूंजीगत तथा राजस्व खर्च के आधार पर सोसायटी के बजट तैयार करेगा तथा अनुमोदन करेगा तथा सूचना के लिए वार्षिक [illegible] बैठक में सामान्य निकाय के सम्मुख उसकी प्रति भी रखेगा।

(President) (Secretary) (Cashier)

(iii) सोसायटी के बैंक लेखे/खाता प्रधान, सचिव व कोषाध्यक्ष मे से किन्ही भी दो सदस्यों/ पदाधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किये जायेगे जो समय–समय पर शासकीय निकाय द्वारा निर्णीत किया जाए।

(iv) सभी परिसम्पति तथा निधियॉ सोसायटी के सम्बन्धित होंगी तथा सोसायटी मे निहित होगी।

(v) सोसायटी की सभी प्राप्तियां तथा भुगतान बैंक दस्तावेजों के माध्यम से किए जाएगें (अर्थात् डी डी/पे आर्डर/चैक/बैंक ट्रांसफर/आर टी जी एस) जिसमें सदस्यों से सदस्यता फीस तथा वार्षिक अंशदान की ओर सभी प्राप्तियां शामिल है। तथापि, शासकीय निकाय वितीय संव्यवहार की सीमाएं अवधारित कर सकता है जो कतिपय अन्य मामलों मे नकद मे की जा सकती है।

(11) सोसायटी के लेखेः

(i) सोसायटी का खंजाची आय कर कानून तथा/या किसी अन्य प्राधिकार के अधीन यथा अपेक्षित उचित लेखा पुस्तकों अर्थात् रोकड बही, लेजर इत्यादि को रखने तथा अनुरक्षण करने के लिए जिम्मेवार होगा जिसमे सोसायटी द्वारा प्राप्त तथा खर्च धन की सभी राशियों तथा सोसायटी की परिसम्पति तथा दायित्वों के सम्बन्ध में इसके रजिस्ट्रीकृत कार्यालय पर भारत की चार्टर्ड लेखाकार की संस्था शामिल है।

(ii) सोसायटी की लेखा पुस्तकें सोसायटी के महा रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार, जिला रजिस्ट्रार या उन द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा तथा किसी सदस्य द्वारा कारबार समय के दौरान निरीक्षण के लिए खुली रखी जाएगी।

(iii) सोसायटी के वार्षिक लेखे सोसायटी के किसी दो प्राधिकृत पदाधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित किए जाएंगे।

(iv) शासकीय निकाय ऐसे पारिश्रमिक पर जो शासकीय निकाय द्वारा अवधारित किया जाए प्रत्येक वित्त वर्ष के लिए सोसायटी के लेखों की लेखापरीक्षा तथा आयकर विवरणर का दायर करने के लिए चार्टर्ड लेखाकार को नियुक्त करेगा, जो शासकीय निकाय का सदस्य या शासकीय निकाय के किसी सदस्य का पारिवारिक सदस्य नही होगा।

(12) सामान्य मुद्राः

सोसायटी के पास एक सामान्य मुद्रा होगी जो महा सचिव/सचिव कर सुरक्षित अभिरक्षा में रखी जाएगी तथा शासकीय निकाय द्वारा अनुमोदन के अनुसार जहां कही यह अपेक्षित हो लगाई जाएगी।

(13) समिति का विलयः–

समिति स्वयं को एक समान लक्ष्यों तथा उद्देश्यों वाली दूसरी स्थापित समिति में विलय कर सकती है तथा विशेष प्रस्ताव द्वारा किसी अन्य समिति को अपनी समिति में विलय कर सकती है।

(14) संविधान व नियमावली पारित करनाः–

समिति का उक्त संविधान व नियमावली पूर्ण बहुमत से आम सभा की मिटिंग में सभी सदस्यों द्वारा दिनांक 25-01-2016...... को पारित किए गये प्रस्ताव के अन्तर्गत अनुमोदित किया गया। अतः हम सभी सदस्य इसको तसदीक करते है।

(President) (Secretary) (Cashier)

CamScanner

(15) सोसायटी का विघटन:

(i) सोसायटी अधिनियम तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों मे अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसार स्वयं का विघटन करने के लिए प्रस्ताव कर सकती है यदि सोसायटी की प्रकिया को चलाना कठिन हो जाता है, या वह दिवालिया हो जाती है या किसी अन्य दबाव तथा अपरिहार्य कारणों से इसे चलाना कठिन हो जाता है।

(ii) सोसायटी के विघटन की घटना मे, सोसायटी की कोई भी परिसम्पति सोसायटी के सदस्यों को मिल जाएगी या में वितरित कर दी जाएगी,

(iii) इसकी परिसम्पत्ति तथा सम्पत्तियां पहले किसी दायित्व को निर्धारित करने के लिए प्रयोग की जाएगी तथा छोडी गई सम्पत्तियां/परिसम्पतियां यदि कोई हो, समरूप लक्ष्यो तथा उद्देश्यों सहित स्थापित किसी अन्य सोसायटी को या साधारण लोकहित में उसके प्रयोग के लिए जिला कलैक्टर को अन्तरण के लिए विचारी जाएगी।

(President) (Secretary) (Cashier)

Distt. Registrar of Societies ★ Department of Industries & Commerce, Haryana ★

(6) सामान्य निकाय की बैठकें:

(i) सोसायटी के सामान्य निकाय की बैठक जब कभी अपेक्षित हो, बुलाई जाएगी। तथापि, सोसायटी के सामान्य निकाय की कम से कम एक बैठक बुलाई जाएगी जैसाकि वार्षिक सामान्य बैठक (ए जी एम) यथा अपेक्षित सोसायटी के किसी अन्य कारबार के संव्यवहार के अतिरिक्त सोसायटी के विधिवत लेखा परीक्षित वार्षिक लेखों के विचारण तथा अंगीकरण के लिए वित्त वर्ष की समाप्ति के छह मास के भीतर एक वर्ष में बुलाई जाएगी।

(ii) सोसायटी का शासकीय निकाय या तो वह स्वयं या सामान्य निकाय के सदस्यों के कम से कम 1/10 से ऐसी बैठक बुलाने के लिए कारणो सहित लिखित मांग की प्राप्ति के 45 दिन के भीतर इसके अधीन यथा विहित उचित नोटिस देने के बाद किसी समय पर सोसायटी के सामान्य निकाय की असाधारण बैठक बुला सकता है।

(iii) सामान्य निकाय की किसी बैठक के लिए संव्यहारित किए जाने वाले कारबार के एजेंडे की प्रति, बैठक की तिथि, समय तथा स्थान सहित कम से कम 14 दिन का स्पष्ट नोटिस सामान्य निकाय के सदस्यों को दिया जाएगा। ऐसे नोटिस की एक प्रति जिला रजिस्ट्रार को पृष्ठांकित की जाएगी।

(iv) सामान्य निकाय की बैठक सामान्य निकाय के सदस्यों के बहुमत द्वारा (कुल सदस्यों, का कम से कम 50 प्रतिशत से अधिक) यदि सहमत हो, लघु नोटिस पर भी बुलाई जा सकती है।

(v) सामान्य निकाय की बैठक के लिए गणपूर्ति अधिकतम चार सदस्यों के अध्यधीन मत के लिए हकदार तथा व्यक्तिगत रूप में उपस्थित कुल सदस्यों के 40 प्रतिशत से होगी। गणपूर्ति की कमी के लिए स्थगित बैठक की दशा में स्थगित बैठक के लिए गणपूर्ति अधिकतम तीन के अध्यधीन, कुल सदस्यो के 10 प्रतिशत से कम नही होगी। सामान्य निकाय किसी विशेष संकल्प के विचारण के सिवाए ऐसी स्थगित बैठक में सभी कारबार पूरे करने के लिए सक्षम होगा। कोई विशेष संकल्प केवल ऐसी स्थगित बैठक में पारित किया जाएगा यदि सोसायटी के कुल सदस्यों का कम से कम 25 प्रतिशत उपस्थित है।

(vi) सामान्य निकाय की सभी बैठको की कार्यवाहियां सचिव द्वारा प्रयोजन के लिए अलग रूप से रखी गई कार्यवृत पुस्तक (बांधी गई या खुल्ले पन्नों में) में अभिलिखित की जाएगी तथा ऐसे कार्यवृत बैठक के अध्यक्ष तथा सोसायटी के सचिव द्वारा हस्ताक्षरित किए जाएगे।

7. सामान्य निकाय की शक्तियां, कार्य तथा कर्तव्यः—

(i) सोसायटी को इसके लक्ष्यों तथा उद्देश्यो का अवधारण करने तथा पूरा करने में गाइड करना।

(ii) पालिसी मामलो का निर्णय करना जैसे कि सोसायटी के नाम का परिवर्तन, सोसायटी के संगम ज्ञापन तथा उपविधियों में संशोधन, सोसायटी के वार्षिक लेखों का अनुमोदन, सोसायटी इत्यादि की अचल परिसम्पतियों के निपटान के लिए अनुमोदन तथा सभी ऐसे अन्य कार्य जो हरियाणा सोसायटी रजिस्ट्रीकरण तथा विनियमन अधिनियम तथा नियम, 2012 के अधीन अपेक्षित हों।

(iii) शासकीय निकाय के सदस्यों को निर्वाचित करना।

(iv) शासकीय निकाय से किसी सदस्य को हटाना तथा आकस्मिक [illegible] के विरुद्ध शासकीय निकाय के सदस्य के रूप में नियुक्त व्यक्ति को बना[illegible] के लिए अनुमोदन प्रदान करना।

(President) (Secretary) (Cashier)

8. शासकीय निकायः

(1) संयोजनः सोसायटी का शासकीय निकाय निम्न अनुसार कुल 8 पदाधिकारियों तथा सदस्यों का होगाः

(क) प्रधान
(ख) सचिव
(ग) कौषाध्यक्ष
(घ) शासकीय निकाय द्वारा किसी अवैतनिक सदस्य के सहयोजन सहित 5 कार्यकारी सदस्य।

(2) शासकीय निकाय का निर्वाचनः

(i) शासकीय निकाय की अवधि जिला रजिस्ट्रार द्वारा इसके निर्वाचन के अनुमोदन की तिथि से तीन वर्ष की होगी।

(ii) शासकीय निकाय निर्वाचनों को करवाने के लिए निर्वाचन की अनुसूची घोषित करेगा तथा रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त करेगा तथा निर्वाचनों को करवाने के लिए सामान्य बैठक को बुलाने से कम से कम 45 दिन पूर्व मत के हकदार सामान्य निकाय के सदस्यों की सूची भी अधिसूचित/प्रदर्शित करेगा। शासकीय निकाय तिथि, समय तथा रीति सूचित करते हुए सभी सदस्यों को शासकीय निकाय के निर्वाचन करवाने के लिए नोटिस भी भेजेगा। शासकीय निकाय के लिए निर्वाचन करवाने के सम्बन्ध में सूचना जिला रजिस्ट्रार को पर्यवेक्षक नियुक्त करने के लिए भी भेजेगा, यदि वह ऐसी इच्छा करें।

(iii) मत के लिए हकदार सोसायटी के सदस्यों की सूची के रूप में किसी आक्षेप का सोसायटी के पदाधिकारियों के साथ परामर्श से रिटर्निंग अधिकारी द्वारा निर्णीत किया जाएगा। तथापि, रिटर्निंग अधिकारी का निर्णय राय की किसी भिन्नता की घटना में अन्तिम होगा। उसके बाद रिटर्निंग अधिकारी शासकीय निकाय के पदाधिकारियों तथा कार्यकारी सदस्यों के निर्वाचन के लिए निर्वाचन की अनुसूची, नामांकन की संवीक्षा तथा वापसी, यदि कोई हो, में विहित अवधि के भीतर दायर किए जाने के लिए नामांकन आमंत्रित करेगा।

(iv) रिटर्निंग अधिकारी सोसायटी के नोटिस बोर्ड पर चुनाव लडने वाले सदस्यों की सूची प्रदर्शित करेगा। रिटर्निंग अधिकारी अधिसूचित तिथि को निर्वाचन करवाएगा। मत के लिए पात्र सदस्य की स्वयं तथा जहां कहीं विवाद हो, सोसायटी द्वारा जारी पहचान पत्र की प्रस्तुति पर अपना मत डालने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा।

(v) मतदान की तिथि को समय की समाप्ति के बाद, रिटर्निंग अधिकारी परिणाम घोषित करेगा तथा सोसायटी का शासकीय निकाय गठित करेगा। रिटर्निंग अधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित शासकीय निकाय के निर्वाचित पदाधिकारियों तथा कार्यकारी सदस्यों की सूची 30 दिन के भीतर जिला रजिस्ट्रार के पास दायर करेगा, जो अपनी सन्तुष्टि पर उसका अपना अनुमोदन प्रदान करेगा।
सोसायटी के पदाधिकारी सोसायटी की सेवाएं देने के लिए किसी पारिश्रमिक के लिए हकदार नही होगे।

(3) शासकीय निकाय की किसी आकस्मिक रिक्त को भरनाः—

शासकीय निकाय के किसी सदस्य के त्यागपत्र या मृत्यु के कारण या किसी अन्य कारण से उत्पन्न कोई रिक्त सोसायटी की आगामी वार्षिक सामान्य बैठक करने तक अस्थाई आधार पर सामान्य निकाय के सदस्यों मे से, यदि अपेक्षित हो, शासकीय निकाय द्वारा भरी जा सकती है। शासकीय निकाय के ऐसे तदर्थ सदस्य आगामी वार्षिक सामान्य बैठक की तिथि को शासकीय निकाय के सदस्य के रूप में समाप्त हो जाएगा, यदि उसको नियुक्ति शासकीय निकाय की शेष अवधि के लिए बहुमत द्वारा वार्षिक सामान्य बैठक में अनुमोदित नही की जाती है।

(President) (Secretary) (Cashier)

Distt. Registrar of Societies

CamScanner

हम कार्यकारी व्यक्ति जिनके नाम तथा पते इसके नीचे अभिवत है, सोसायटी को उप–विधियों की सही प्रति के रूप में उक्त को प्रमाणित करते है–

क्र0 सं0	नाम	पिता / पति का नाम	पता	उम्र	पद	व्यवसाय	हस्ताक्षर
1	देवेन्द्र	श्री चतरभुज	गांव कहसून, जिला जीन्द	37	प्रधान	व्यापार	[signature]
2	सदीप कुमार	श्री राम कुमार	गांव बडोदा, जिला जीन्द	35	सचिव	कृषि	Saideeb Kumar
3	पंकज शर्मा	श्री राजेन्द्र कुमार	51बी, सेतिया प्लेस के पास, सिरसा रोड़, फतेहाबाद	26	कोषाध्यक्ष	व्यापार	[signature]
4	सुषमा शर्मा	श्री देवेन्द्र	गांव कहसून, जिला जीन्द	35	कार्यकारिणी सदस्य	व्यापार	[signature]
5	ओम पति	श्री चतरभुज	गांव कहसून, जिला जीन्द	63	कार्यकारिणी सदस्य	ग्रहणी	[thumb impression]
6	दिनेश कुमार	श्री राजेन्द्र कुमार	हाउस नं.132सी, नजदीक सेतिया प्लेस, गीता कॉलोनी, सिरसा रोड़, फतेहाबाद	39	कार्यकारिणी सदस्य	व्यापार	[signature]
7	राजेन्द्र कुमार	श्री जय सिंह	हाउस नं. 10, लेखु मोहल्ला, गांव चोचडा, जिला करनाल	27	कार्यकारिणी सदस्य	व्यापार	Rajender
8	सत कुमार	श्री बारू राम	ब्राहाण चौपाल के पास, वॉर्ड नं. 8, उचाना कला, जिला जीन्द	47	कार्यकारिणी सदस्य	व्यापार	Sat Kumar

District Registrar of Societies, Department of Industries & Commerce, Haryana

(President) (Secretary) (Cashier)

CamScanner

प्रथम संशोधन

Governing Body of the Society

SNo.	Name of Member	Membership Number	Full Address	Date of Enrollment	Designation
1	DEVENDER	1	S/O SH. CHATARBHUJ VILLAGE KASOON, DISTT. JIND	2016-09-23	President
2	SANDEEP KUMAR	2	S/O SH. RAM KUMAR VILLAGE BARODA, DISTT. JIND	2016-09-23	General Secretory
3	KRISHNA SHARMA	3	FATEHABAD	2016-09-23	EXECUTIVE MEMBER
4	SUSHMA	4	W/O SH. DEVENDER, VILLAGE KASOON, DISTT. JIND	2016-09-23	CASHIER
5	OMPATI	5	W/O SH. CHATARBHUJ, VILLAGE KASOON, DISTT. JIND	2016-09-23	Executive Member
6	RAJENDER	7	S/O SH. JAI SINGH, HOUSE NO. 10, LAKHU MOHALLLA, VILLAGE CHOCHRAN, DISTT. KARNAL	2016-09-23	Executive Member
7	SAT KUMAR	8	S/O SH. BARU RAM, NEAR BRAHMAN CHOPAL, WARD NO. 8, UCHANA KALAN DISTT. JIND	2016-09-23	Executive Member

General Members of the Society

SNo.	Name of Member	Membership Number	Full Address	Date of Enrollment	Membership Type
1	DEVENDER	1	S/O SH. CHATARBHUJ VILLAGE KASOON, DISTT. JIND	2016-09-23	Ordinary Member

CamScanner

2	KRISHNA SHARMA	10	fatehbad	2016-09-23	Ordinary Member
3	SANDEEP KUMAR	2	S/O SH. RAM KUMAR VILLAGE BARODA, DISTT. JIND	2016-09-23	Ordinary Member
4	SUSHMA	4	W/O SH. DEVENDER, VILLAGE KASOON, DISTT. JIND	2016-09-23	Ordinary Member
5	OMPATI	5	W/O SH. CHATARBHUJ, VILLAGE KASOON, DISTT. JIND	2016-09-23	Ordinary Member
6	RAJENDER	7	S/O SH. JAI SINGH, HOUSE NO. 10, LAKHU MOHALLLA, VILLAGE CHOCHRAN, DISTT. KARNAL	2016-09-23	Ordinary Member
7	SAT KUMAR	8	S/O SH. BARU RAM, NEAR BRAHMAN CHOPAL, WARD NO. 8, UCHANA KALAN DISTT. JIND	2016-09-23	Ordinary Member

CamScanner

द्वितिय संशोधन

Governing Body of the Society

SNo.	Name of Member	Membership Number	Full Address	Date of Enrollment	Designation
1	DEVENDER	1	S/O SH. CHATARBHUJ VILLAGE KASOON, DISTT. JIND	2016-09-23	President
2	KAPIL SHARMA	11	S/O HARI NARYAN ATTRI, 1761/13, KRISHANA COLONY, NEAR KUNDAN CINEMA, JIND	2020-03-15	Executive Member
3	SANDEEP KUMAR	2	S/O SH. RAM KUMAR VILLAGE BARODA, DISTT. JIND	2016-09-23	General Secretory
4	KRISHNA SHARMA	3	FATEHABAD	2016-09-23	EXECUTIVE MEMBER
5	SUSHMA	4	W/O SH. DEVENDER, VILLAGE KASOON, DISTT. JIND	2016-09-23	CASHIER
6	OMPATI	5	W/O SH. CHATARBHUJ, VILLAGE KASOON, DISTT. JIND	2016-09-23	Executive Member
7	RAJENDER	7	S/O SH. JAI SINGH, HOUSE NO. 10, LAKHU MOHALLLA, VILLAGE CHOCHRAN, DISTT. KARNAL	2016-09-23	Executive Member

General Members of the Society

SNo.	Name of Member	Membership Number	Full Address	Date of Enrollment	Membership Type
1	DEVENDER	1	S/O SH. CHATARBHUJ VILLAGE KASOON, DISTT. JIND	2016-09-23	Ordinary Member

CamScanner

2	KRISHNA SHARMA	10	fatehbad	2016-09-23	Ordinary Member
3	KAPIL SHARMA	11	S/O HARI NARYAN ATTRI, 1761/13, KRISHANA COLONY, NEAR KUNDAN CINEMA, JIND	2020-03-15	Ordinary Member
4	SANDEEP KUMAR	2	S/O SH. RAM KUMAR VILLAGE BARODA, DISTT. JIND	2016-09-23	Ordinary Member
5	SUSHMA	4	W/O SH. DEVENDER, VILLAGE KASOON, DISTT. JIND	2016-09-23	Ordinary Member
6	OMPATI	5	W/O SH. CHATARBHUJ, VILLAGE KASOON, DISTT. JIND	2016-09-23	Ordinary Member
7	RAJENDER	7	S/O SH. JAI SINGH, HOUSE NO. 10, LAKHU MOHALLLA, VILLAGE CHOCHRAN, DISTT. KARNAL	2016-09-23	Ordinary Member

CamScanner

Department of Industries & Commerce, Haryana

To

CHATARBHUJ MEMORIAL EDUCATION SOCIETY
VILLAGE KASOON, TEHSIL NARWANA, DISTT JIND
Jind

Memo Number : 2022-03-0000895

Subject : Acknowledgement of Annual Returns

It is submitted that the Annual Returns for the year 2021 - 2022 filed by your society CHATARBHUJ MEMORIAL EDUCATION SOCIETY has been received on dated 03/06/2022.

Issuing Authority,
District Registrar, , Haryana.

Distt. Registrar of Societies
Department of Industries & Commerce, Haryana

CamScanner